सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 29.08.2026

- **ऑपरेशन शुद्धि के तहत SOG टीम थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही**
- **अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी का खुलासा, सम्भलपुर, उड़ीसा से जनपद बलिया ले जाया जा रहा 36.500 किग्रा अवैध गांजा बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **बरामद 36.500 किग्रा गांजा की कीमत करीब ₹18 लाख एवं स्कॉर्पियो वाहन की कीमत करीब ₹12 लाख**
- **कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत करीब ₹30 लाख**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"ऑपरेशन शुद्धि"** के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय **श्री अनिल कुमार** एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर कुमार मिश्रा** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज **श्री धर्मेन्द्र सिंह** के कुशल नेतृत्व में **SOG टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस**, चौकी हिन्दुआरी एवं चौकी चुर्क की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 36.500 किग्रा अवैध गांजा कीमत करीब ₹18 लाख एवं तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन कीमत करीब ₹12 लाख बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.08.2026 को **SOG टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस**, चौकी हिन्दुआरी एवं चौकी चुर्क पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चन्द्रयान तिराहा, भण्डार खुर्द हाईवे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर हिन्दुआरी की ओर से आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP32HQ1416 को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर वाहन सवार व्यक्तियों द्वारा वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेरकर समय करीब 22:00 बजे पकड़ लिया गया।

कृत कार्यवाही—

गिरफ्तार अभियुक्तों की नियमानुसार तलाशी क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर कुमार मिश्रा की उपस्थिति में करायी गयी। स्कॉर्पियो वाहन की पिछली सीट के नीचे एवं पिछले भाग से **37 बण्डलों में कुल 36.500 किग्रा** अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे को तीन प्लास्टिक बोरियों में रखकर क्रमशः 12 किग्रा, 12 किग्रा एवं 12.500 किग्रा वजन किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 05 मोबाइल फोन, ₹550 नकद एवं किया कार की चाबी भी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर **थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0-721/2026 धारा 8/20/27A/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे आपस में मिलकर अवैध गांजा की तस्करी का कार्य करते हैं। अभियुक्तों के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों द्वारा जनपद बलिया का निवासी होना बताया गया, द्वारा उन्हें उड़ीसा से गांजा लाने के लिए वाहन, धनराशि एवं आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जाते हैं। अभियुक्तों ने बताया कि **उन्हें सम्भलपुर, उड़ीसा के पास से गांजा प्राप्त कर जनपद बलिया** में निर्धारित स्थान तक पहुंचाने का कार्य सौंपा जाता है तथा इस कार्य के एवज में **प्रत्येक व्यक्ति को करीब ₹15,000/- रुपये** दिये जाते हैं।

अभियुक्तों ने बताया कि गांजा तस्करी के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाता है तथा रास्ते में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए व्हाट्सएप कॉल एवं लोकेशन के माध्यम से एक-दूसरे से सम्पर्क किया जाता है। दिनांक 27.08.2026 को अभियुक्त दोनों वाहनों से सम्भलपुर, उड़ीसा से गांजा लेकर वापस आ रहे थे। रास्ते में थाना कुनकुरी, जनपद जशपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग किये जाने पर वे पुलिस से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग से भागने लगे। इसी दौरान रास्ता समाप्त हो जाने पर अभियुक्त विधिचन्द्र यादव एवं आदित्य जायसवाल द्वारा **किया कार को मौके पर छोड़कर उसकी चाबी अपने पास रख** ली गयी तथा बाद में स्कॉर्पियो वाहन में सवार साजिद अली एवं रईस खान के साथ आगे की यात्रा की गयी।

अभियुक्तों ने बताया कि पुलिस से बचते हुए वे सोनभद्र जनपद में हाईवे के किनारे जंगल क्षेत्र में रुककर रात में आराम किये तथा 28.08.2026 को आगे जाने के लिए निकले। हिन्दुआरी के पास पुलिस द्वारा चेकिंग किये जाने के दौरान स्कॉर्पियो वाहन में गांजा होने के कारण पकड़े जाने के भय से उन्होंने वाहन को वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। (छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान किया कार से करीब 2.5 क्विण्टल अवैध गांजा बरामद हुआ)

बरामदगी का विवरण-

36.500 किग्रा अवैध गांजा — कीमत करीब ₹18 लाख।
स्कार्पियो वाहन संख्या UP32HQ1416 — कीमत करीब ₹12 लाख।
05 अदद एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन।
₹550/- नकद।
किया कार की एक चाबी। (छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान किया कार को रोका गया, जिसमें करीब 2.5 क्विण्टल अवैध गांजा बरामद हुआ)
कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत — करीब ₹30 लाख।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विधिचन्द्र यादव पुत्र स्व0 जगधारी यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम लिलारीभरौली, थाना कोपागंज, जनपद मऊ।
2. साजिद अली पुत्र मुसाफिर अंसारी, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम सोहरौना सिंघापट्टी, थाना पड़रौना, जनपद कुशीनगर।
3. रईस खान पुत्र फिरोज खान, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम जंगल खिरकिया, थाना पड़रौना, जनपद कुशीनगर।
4. आदित्य जायसवाल पुत्र स्व0 प्रमोद जायसवाल, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम गम्भीरिया बुजुर्ग, थाना पड़रौना, जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र व नि0 श्री नागेश कुमार सिंह प्रभारी एसओजी टीम।
2. उ0नि0 विनय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी हिन्दुआरी, थाना रॉबर्ट्सगंज।
3. उ0नि0 धर्मनारायण भार्गव, चौकी प्रभारी चुर्क, थाना रॉबर्ट्सगंज।
4. हे0का0 संदीप यादव, हे0का0 दिनेश कुमार का0 अभिमन्यु पाण्डेय, का0 दीपक सिंह, का0 राम सिंह यादव